(क) क्या यह सच है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस के कुछ जवानों के संबंध पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोएबा से पाए गए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि गिरफ्तार पुलिसकर्मी लश्कर-ए-तोएबा के लिए ‘अंडरकवर एजेंट’ के रूप में काम कर रहे थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या जम्मू-कश्मीर पुलिस में ऐसे और अंडरकवर एजेंट होने की संभावना की जांच की जा रही है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री जितेन्द्र सिंह)**

**(क) और (ख) : जी, हां। एक ए एस आई मोहम्मद रमजान संख्या 5/पीएल, निवासी गुंड डाचीन को एल-ई-टी गुट के सक्रिय कार्यकर्ता के रुप मे लिप्त पाया गया था और उसे दिनांक 09.02.2006 को गिरफ्तार किया गया था तथा पुलिस स्टेशन परीमपरो में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 20,40, रणवीर पेनल कोड (आर पी सी) की धारा 121, 121-क, 120-ख के तहत एक मामला एफ आई आर संख्या 33/2006 दर्ज है जिसकी जांच अभी चल रही है। एक एस पी ओ नामत: मोहम्मद रफी संख्या 859/एस पी ओ निवासी पुंछ को एल ई टी गुट के लिए कार्य करता हुआ पाया गया था। उसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 13, 17, 18, 39, 40 के तहत पुलिस स्टेशन पुंछ के मामला एफ आई आर संख्या 14/2002 में दिनांक 02.02.2012 को गिरफ्तार किया गया था और दिनांक 01.06.2012 को मामले का चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है और मामला न्यायाधीन है।**

**(ग) : किसी राष्ट्र विरोधी अथवा विध्वंसक संगठन के लिए कार्य कर रहे अन्य पुलिस कार्मिकों की पहचान करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है।**

**----**